न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–407/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00370)

01. रामचन्द्र पुत्र स्व. रूडाराम,
02. रामेश्वर पुत्र स्व. रूडाराम,
03. सीताराम पुत्र स्व. रूडाराम,
04. बाबूलाल पुत्र स्व. रूडाराम,
05. प्रभाती देवी पुत्री स्व. रूडाराम,
06. चावली देवी पत्नी स्व. रूडाराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम छोटागुढा, तहसील चौंमू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. रामनिवास पुत्र गणेशराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कीरत सिंह का बास, तहसील चौमू जिला जयपुर।
02. गोपाल पुत्र घीसा,
03. गणेश पुत्र घीसा,
04. हरिसिंह पुत्र शोलाराम,
05. सुभाष पुत्र शोलाराम
06. कमला पुत्री शोलाराम,
07. मंगली पत्नी शोलाराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम छोटागुढा तहसील चौंमू जिला जयपुर।
08. ग्राम पंचायत गुडलिया जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गुडलिया, तहसील चौमू जिला जयपुर।
09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।
10. अर्जुन पुत्र रूडाराम, जाति जाट निवासी ग्राम छोटागुढा तहसील चौमू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 03.03.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 10.06.2016 (प्रकरण संख्या 9/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के दादा स्व. लादू पुत्र कानाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में विवादित कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा निहित था तथा अपीलान्ट के पिता रूडा पुत्र रामदेव के नाम से 1/3 हिस्सा निहित था तथा प्रथम जमाबन्दी व मिसल खातेदारी में उक्त प्रकार यह भूमि रही है तथा 1/3 हिस्से की कृषि भूमि रूडा पुत्र रामदेव के नाम से जागीदारी प्रथा खत्म होने से समय पृथक

P.T.O.

खातेदारी जमाबन्दी पर्चे व जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड रही है जिस पर रूडा ही काबिज काश्त था तथा रामदेव नाऔलाद था तथा उसके नाम से काई कृषि भूमि नही रही है लेकिन रामदेव का नाम परम्परागत रीति–रिवाज से चलाने के लिये अपीलान्ट के पिता रूडा ने अपनी वल्दियत तत्समय रूडा पुत्र रामदेव रिकार्ड में दर्ज करवा दी तथा रामदेव के साथ गौद पुत्र की भांति रहकर सेवा सुश्रृषा की थी अर्थात बहैसियत गोद पुत्र रहता था तथा रामदेव ने अपने पुत्र की भांति रूडा की जो लादूराम का पुत्र था सन् 2006 में गोद रख लिया था। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा लादू पुत्र काना के नाम दर्ज कृषि भूमि में लादू ने अपने जीवनकाल में कुछ कृषि भूमि अपने पौत्रों सीताराम रामेश्वर को बेचान कर दिया था जिसका नामान्तरकरण संख्या 306 खुलवाया था, जो वैध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट पिता रूडा पुत्र लादू दत्तक पुत्र रामदेव की मृत्यु दिनांक 14.05.2007 को हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बाद जॉच जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार ग्राम गुडलिया तहसील चौमू जिला जयपुर द्वारा जारी किया गया था कुर्सीनामा ग्राम पंचायत गुडलिया द्वारा जारी किया है, जो वैध है जिसको रेस्पोडेन्ट ने कभी भी चुनौती नही दी है तथा शेष बची लादू की भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 24.12.1997 को लादू के सभी वरिसान के नाम दर्ज हुआ था लेकिन लादू की पुत्रियों ने अपना हक त्याग अपने भाई रूडा के हक में कर दिया था जिसका नामन्तरकरण रूड़ा पुत्र लादू के नाम दर्ज किया गया था। उन्होने आगे कथन किया है कि रूडा पुत्र लादू दत्तक पुत्र रामदेव की मृत्यु पर उक्त दस्तावेजातों मृत्यु प्रमाण पत्र व कुर्सीनामा व जमाबन्दी के रिकार्ड की पर्याप्त जांच पड़ताल कर तत्कालिन पटवारी हल्का गुडलिया द्वारा उक्त कृषि भूमि में रूडा पुत्र लादू 1/3 हिस्सा व रूडा पुत्र रामदेव 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होने के कारण व एक व्यक्ति होने के कारण रूडा के वारिसान अपीलान्ट के नाम सही भरा गया था तथा पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण पत्रावली तत्कालिन गिरदावर हल्का के समक्ष प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का ने पर्याप्त जांच पड़ताल कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 244 को अंकन सही होना अंकित किया गया, तत्पश्चात् उक्त नामान्तरकरण संख्या 244 की ग्राम पंचायत गुडलिया रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया जिसकी ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति दिनांक 05.07.2007 को कोरम द्वारा प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है, जो सही व वैध है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2016 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नामान्तरकरण संख्या 244 में किसी भी प्रकार से एग्रीव्ड परसन नही है जिसको अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय देकर भयंकर कानूनी भूल कारित की है। उन्होने यह भी कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय के

P.T.O.

समक्ष अपील असाधारण विलम्ब करीब 8 वर्ष के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 244 के विरूद्ध पेश की गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई रिजनेबल सेटेसफाई सेफिसियन्ट एवं उचित कारण उल्लेखित नही किये है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील मियाद बाहर होने से सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर ध्यान ना देकर भयंकर तथ्यात्मक व कानूनी भूल कारित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत अपील में निष्कर्ष निकाला कि ''तत्कालिन सरपंच द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपने परिवार के हित में नामान्तरकरण पर आदेश पारित किये है, जो विधि विरूद्ध है, नामान्तरकरण संख्या 244 खारिज योग्य है ''जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने सजरा खानदान अथवा कुर्सीनामा पर गौर नही किया व कुर्सीनामा में तत्कालिन सरपंच मोहनी देवी कही पर भी नही है अर्थात रूडा के वारिसन में तत्कालिन सरपंच हितबद्ध नही थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाल कर उक्त नामान्तरकरण में गलत अवैध तरीके से खारिज करने के आदेश पारित किया है जो सरसरी तौर पर ही निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में केवल उन्हे प्रकरणों को लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा से निस्तारित करना होता है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा किसी प्रकार का राजीनामा का प्रश्न ही नही है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज किये योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजीयात में घीसा पुत्र काना, लालू पुत्र काना व रामदेव पुत्र काना का हिस्सा 1/3–1/3 तथा स्वयं अपीलान्ट ने जो सजरा अपील में दिया उससे स्पष्ट है, वास्तविकता में सही बात यह है कि रामदेव पुत्र काना अविवाहित नाऔलाद मरा था और अपीलान्ट जो लादू के वंशज है अर्थात लादू के रूडा नाम का एक लडका हुआ था जो एकमात्र लड़ता था लेकिन गलत रूप से रूडा पुत्र लादू को रामदेव का दत्तक पुत्र बताकर 1/3 का नामान्तरकरण खुलवा लिया जबकि वास्तविकता यह है जब लादू मरा तब उसके हिस्से का खाता रूडा पुत्र लादू के नाम से खुला है, जब रामदेव मरा तो उसके दो भाई घीसा व लादू जिन्दा थे व उन्ही में उसकी जायदाद रामदेव पुत्र काना की निहित होनी चाहिये थी चूँकि खाता लादू ने अपने बेटे रूडा को रामदेव का दत्तक पुत्र बताकर खुलवाया है जो गलत खुलवाया है तथा उसका दावा उपखण्ड अधिकारी चौमू में घोषणा का विचाराधीन है, वास्तविकता यह है कि रूडा पुत्र रामदेव

P.T.O.

मरा तो उसका खाता रामचन्द्र ने गलत रूप से अपने व अपने भाईयों के नाम खुलवा लिया उस समय अपीलान्ट रामचन्द्र की पत्नी मोहनी देवी सरपंच थी उसने अपने पति व देवरों के नाम नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 05.07. 2007 को खोल दिया जो अवैधानिक व क्षेत्राधिकार से बाहर था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 05.07.2007 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी चौमू के यहॉ अपील दायर की और उसमें स्पष्ट किया कि वर्तमान अपीलान्ट रूडा पुत्र लादू के वंशज है न रूडा पुत्र रामदेव के वास्तविकता यह है कि रामदेव नाऔलाद फौत हुआ था जो खाता भी रूडा पुत्र रामदेव के नाम खुला था उसको भी जरिये वाद चुनौती दे रखी है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी अपील उपखण्ड अधिकारी चौमू में यह भी तर्क दिया कि रामदेव नाऔलाद फौत हो गया था उसके रूडा नाम का कोई लड़का नही था और ये जायदाद लावारसी होने के कारण जप्त सरकार की जावें। उन्होने आगे कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू ने नामान्तरकरण संख्या 244 के विरूद्ध अपील में नामान्तरकण सरपंच द्वारा अवैधानिक तौर से खोलने के कारण और नामान्तरकरण अपीलान्ट रामचन्द्र की पत्नी मोहनी देवी द्वारा खोलने के कारण अवैधानिक था और विवादित बिन्दू को तय करने का अधिकार ग्राम पंचायत का न मानते हुये नामान्तरकरण संख्या 244 को निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार चौमू को प्रतिप्रेषित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अनुपालना मे प्रकरण धारा 135(2)भू राजस्व अधिनियम में तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार के समक्ष अपीलान्ट ने अपने अभिभाषक जे.पी.यादव के जरिये दिनांक 04.07.2016 को उपस्थित हुये और वकालतनामा भी प्रस्तुत किया अर्थात उपखण्ड अधिकारी चौंमू की आज्ञा की जानकारी उन्हे शुरू से ही रही है और शुरू से ही वे दिनांक 04.07.2016 को ही तहसीलदार चौमू के समक्ष उपस्थित था उसके उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा जो मियाद का आवेदन दिया गया है वह झूॅठे तथ्यों के आधार पर दिया है इसलिये उसे मियाद का कोई फायदा नही दिया जा सकता है एवं अपील मियाद बाहर होने से सरसरी तौर पर मियाद के बिन्दू पर ही निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का

P.T.O.

रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वर्तमान अपीलान्ट्स को बतौर रेस्पोडेन्ट संयोजित कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विवादित नामान्तरकरण तलबी के एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी के आदेश दिनांक 08.09.2015 को हुऐ है किन्तु विवादित नामान्तरकरण तलब करने या प्राप्त होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद नही है, इसी प्रकार अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार थे किन्तु उनकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी सम्यक् तामिल भी नही करवाई गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 26.05.16 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.06. 2016 मुकर्रर की जाकर पत्रावली दिनांक 10.06.2016 को ही न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गुडलिया में पेशी पर लेकर बिना उभयपक्ष की सहमति के निर्णित की गई है जबकि लोक अदालत में केवल उन्हे प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकरान आपसी सहमति से प्रकरण का निस्तारण कराना चाह रहे हो किन्तु हस्तगत प्रकरण के निस्तारण में अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष अपीलान्ट की किसी प्रकार की सहमति नही रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2016 विधि सम्मत और लोक अदालत की भावना के अनुरूप प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 244 ग्राम छोटागुढा तहसील चौमू पर सरपंच ग्राम पंचायत गुडलिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2007 को बहाल किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।